

## FORAMT FOR OBC-NCL Certificate

CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES - NON CREAMY LAYER  
(OBC - NCL) APPLYING FOR ADMISSION TO CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (CEIs),  
UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri/Smt./Kum\* Rohit Son/ Daughter\*  
of Shri/Smt.\* Sanjay Prasad of Village/  
Town\* oliya District/Division\* Uttarakshi in the  
State/Union Territory Uttarakhand belongs to the  
Ranwalta community that is recognized as a backward class under  
Government of India\*\*, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No.  
12015/05/2011-वी.ए.ए. II dated 17 Feb 2014

Shri/Smt./Kum. Rohit and/or \_\_\_\_\_  
his/her family ordinarily reside(s) in the Uttarakshi District/Division of the  
Uttarakhand State/Union Territory. This is also to certify that he/she does  
NOT belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the  
Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93- Estt. (SCT) dated  
08/09/93 which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt.(Res.) dated 09/03/2004, further  
modified vide OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 14/10/2008, again further modified vide OM  
No.36036/2/2013-Estt (Res) dtd. 30/05/2014.

Dated: 11.02.2020

Seal

N. S.  
तहसीलदार  
कम

District Magistrate /  
Deputy Commissioner /  
Any other Competent Authority

\* Please delete the word(s) which are not applicable.

\*\* As listed in the Annexure (for FORM-OBC-NCL)

\*\*\* The authority issuing the certificate needs to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

## NOTE:

- The term 'Ordinarily resides' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
- The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:
  - District Magistrate/ Additional Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ 1st Class Stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
  - Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
  - Revenue Officer not below the rank of Tehsildar' and
  - Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides

महत्त्वपूर्ण / समयबद्ध

कार्यालय – मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

email-deo.dehradun.dir@gmail.com ph.0135-2787028

सेवा में,

खण्ड शिक्षा अधिकारी,  
विकासनगर / सहसपुर / रायपुर  
देहरादून।

पत्रांक :

इन्स0अ0 /

21941-45

/2019-20

दिनांक 19 जनवरी 2020

विषय :

एन0टी0एस0 (प्रथम चरण) परीक्षा 2019-20 में ओ0बी0सी0 श्रेणी के चयनित छात्रों के  
**OBC Non Creamy Layer प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक : SCERT/6129-31/NTS Exam 2019-20 / दिनांक 25 जनवरी 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत करवाया गया है कि एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, द्वारा आयोजित एन0टी0एस0(प्रथम चरण)परीक्षा 2019-20 हेतु अभ्यर्थियों का परीक्षाफल एन0सी0ई0आर0टी0 दिल्ली के पत्र संख्या F.No-15/2019/ESD/NTS-1/3280 दिनांक 17 जनवरी 2020 के अनुमोदन के उपरान्त घोषित किया जा चुका है। एन0सी0ई0आर0टी0 के निर्देशानुसार OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों का औपबन्धिक (Provisional) चयन किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने विकासखण्ड के अधीनस्थ चयनित छात्र-छात्राओं के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें कि इन अभ्यर्थियों के OBC Non Creamy Layer (Central/National List of OBC के अनुसार) प्रमाण-पत्र (फारमेट संलग्न) तत्काल एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून को उपलब्ध करवायें तथा उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा एन0टी0एस0(प्रथम चरण) में चयनित अभ्यर्थी NCERT द्वारा आयोजित द्वितीय चरण की परीक्षा हेतु निर्धारित पात्रता पूर्ण न होने की स्थिति में सम्मिलित नहीं हो पायेंगे।

संलग्नक – 1) OBC Non Creamy Layer प्रमाण पत्र।

2) OBC श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों की सूची।

भवदीय

(आशा रानी पैन्थूली)  
मुख्य शिक्षा अधिकारी  
देहरादून

पुं0सं0 : इन्स0अ0 /

/2019-20 दिनांक : उक्तांकित

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित –

1. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून।
2. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।

मुख्य शिक्षा अधिकारी  
देहरादून

## NTS SELECTED CANDIDATES LIST FOR THE YEAR 2019-20

S.N	Roll No	Candidate Name	DOB	Father's Name	Mother's Name	School Name	Block
0							
1	32200533126	PRIYANSHU RAWAT	14-11-2004	SURENDRA RAWAT	SAVITA RAWAT	CENTRAL SCHOOL TIBETANS, HERBERTPUR	VIKASN AGAR
2	32200532263	TARUN KUMAR	31-1-2004	RAJESH KUMAR	SEEMA RANI	OAK GORVE SCHOOL JHARIPANI	SAHASHP UR
3	32200528221	KEESHA LUTHERA	08-10-2003	RAJENDRA PAL	RAJNI LUTHERA	ST. THOMAS SCHOOL	RAIPUR
4	32200528162	DEVESH SINGH CHAUHAN	09-07-2004	MAHESH SINGH	MANJU CHAUHAN	DOON INTERNATIONAL SCHOOL	RAIPUR
5	32200528385	ROHIT	01-01-2005	SANJAY PRASAD	MAMTA DEVI	KENDRIYA VIDYALAYA OFD RAIPUR	RAIPUR



## उत्तराखण्ड सरकार

भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के निमित्त आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण पत्र संख्या :UK07CAC0304/190030439

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री रोहित पुत्र संजय प्रसाद उत्तराखण्ड राज्य, उत्तरकाशी जिला, दुण्डा तहसील, ओल्या ग्राम / शहर के निवासी है।

जो रवांन्टा/जीनपुरी समुदाय समुदाय के हैं, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12015/05/2011 - बी.सी.॥ दिनांक 17 फरवरी, 2014

के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग रूप में उत्तराखण्ड राज्य के क्रमांक 4 पर मान्यता प्राप्त है। श्री रोहित तथा/अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तराखण्ड राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के उत्तरकाशी जिला के निवासी हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय आपन संख्या 36012/22/93 - स्या.(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/ वर्गों (नवोन्नत वर्ग) की श्रेणी से सम्बन्धित नहीं है।

दिनांक: 12/19/2019

उत्तराखण्ड सरकार



Digitally signed by  
VIRENDRA SINGH  
RAWAT  
Date: 2019.12.19  
14:42:03 +05:30

केंद्र आईडी:edcodund1  
दुण्डा,  
उत्तरकाशी

यह प्रमाणपत्र डिजिटली हस्ताक्षरित है एवं विश्व मान्य है।

इस प्रमाणपत्र को आवेदन पत्र संख्या का उपयोग कर <http://edistrict.uk.gov.in> से सत्यापित किया जा सकता है।